भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.36
22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक/प्राकृतिक खेती

***36: श्री नवीन जिंदल:**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान जैविक/प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पादन का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जैविक कृषि अवसंरचना के लिए आवंटित, संवितरित, संस्वीकृत और व्यय की गई धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) जैविक उत्पादन हेतु अवसंरचना विकास के लिए आरंभ की गई योजनाओँ और वर्ष 2020 से इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्यों में वर्तमान जैविक कृषि अवसंरचना का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कम जैविक उत्पादन वाले राज्यों में जैविक कृषि अवसंरचना का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या किसानों को जैविक खेती अवसंरचना विकसित करने के लिए कोई वित्तीय प्रोत्साहन अथवा राजसहायता उपलब्ध है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या जैव-उर्वरक, वर्मी कम्पोस्ट और जैविक कीटनाशक जैसे जैविक आदानों के उत्पादन हेतु अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

जैविक/प्राकृतिक खेती" के संबंध में 22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 36 के भाग (क) से (च) तक के संबंध में विवरण ।

(क): पूर्वोत्तर राज्यों के अतिरिक्त सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये दोनों योजनाएँ जैविक खेती में कार्यरत किसानों को एण्ड-टु-एण्ड समर्थन अर्थात उत्पादन से प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन तक संपूर्ण सहायता प्रदान करने पर बल देती हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर बनाना है। दोनों योजनाएँ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

जैविक/प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पादन का विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ख): पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर योजनाओं के तहत वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक जैविक खेती सहित इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए आवंटित, संवितरित और व्यय की गई धनराशि का राज्यवार विवरण क्रमशः अनुबंध-I और II में दिया गया है।

(ग): सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सहित जैविक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कई योजनाएँ प्रारंभ की हैं:

1. पीकेवीवाई योजना सहभागी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) प्रमाणन के साथ क्लस्टर-आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देती है। यह योजना मुख्य रूप से ऑन-फार्म कृषि इनपुट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण के लिए जैविक इनपुट प्रोत्साहन पर बल देती है, साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के संयोजन के माध्यम से जैविक उत्पादों के मूल्यवर्धन को भी बढ़ावा देती है।

2. एमओवीसीडीएनईआर योजना पूर्वोत्तर राज्यों में विशिष्ट फसलों की तृतीय-पक्ष प्रमाणित जैविक खेती को प्रोत्साहित करती है। इसमें मुख्यत: वर्ष 2015-16 से जैविक खेती के लिए क्षमता निर्माण, प्रमाणन, बाजार संपर्क, मूल्यवर्धन, भंडारण, प्रसंस्करण और कृषि इनपुट इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए समर्थन शामिल है।

3. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) फसलोपरांत प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण जुटाता है। यह विशेष तौर पर केवल जैविक उत्पादन के लिए नहीं है, परंतु जैविक किसान, एफपीओ, पीएसीएस और कृषि-उद्यमी वर्ष 2020-21 से गोदामों, कोल्ड स्टोर, छंटाई/ग्रेडिंग इकाइयों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जो जैविक मूल्य श्रृंखलाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। दिनांक 30.06.2025 तक, एआईएफ योजना के अंतर्गत, 850 करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण राशि से 545 आवेदनों को जैविक इनपुट उत्पादन परियोजना हेतु सहायता प्रदान की गई है।

(घ) से (च): पीकेवीवाई के अंतर्गत, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, जैविक खाद सहित ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक आदानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों को 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। एमओवीसीडीएनईआर के अंतर्गत, किसान उत्पादक संगठन के निर्माण, जैविक आदानों आदि के लिए किसानों को सहायता हेतु 3 वर्षों में 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, इस योजना के अंतर्गत किसानों को 32500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक आदानों, जैसे जैव-उर्वरक, वर्मीकम्पोस्ट और जैविक कीटनाशकों के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 15,000 रुपये की राशि भी शामिल है। वर्ष 2015-16 से पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों का राज्यवार विवरण अनुबंध-III में दिया गया है।

अनुबंध-I

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान जैविक उत्पादन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सहित परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)* के तहत राज्य-वार आवंटन, जारी और व्यय का विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
	आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय
आंध्र प्रदेश	11291.09	10004.83	9989.68	1573.21	0.00	0.00	826.35	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00	2800.00	2800.00	0.00
बिहार	1750.99	993.63	876.61	991.81	0.00	0.00	2830.65	1547.68	1547.68	2509.80	402.00	0.00	1000.00	1015.50	0.00
छत्तीसगढ	4825.62	3738.11	3737.96	1324.74	0.00	0.00	3504.93	0.00	0.00	3175.00	1892.50	1892.50	2373.50	2373.00	473.90
गुजरात	20.20	10.10	10.10	20.81	0.00	0.00	20.50	0.00	0.00	750.00	196.00	196.00	560.70	282.00	248.40
गोवा	1009.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1025.10	0.00	0.00	382.50	250.00	0.00	286.00	250.00	0.00
हरियाणा	10.10	5.05	0.00	10.40	0.00	0.00	10.25	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00
झारखंड	1836.86	1836.86	1836.86	270.50	0.00	0.00	1397.27	0.00	0.00	1772.00	163.00	0.00	800.00	399.00	0.00
कर्नाटक	1030.00	10.10	10.10	20.81	0.00	0.00	1045.61	512.55	512.55	2803.00	2803.00	68.25	1950.00	1950.00	0.00
केरल	2905.47	2198.23	2198.23	1209.68	0.00	0.00	1712.07	1712.07	1471.48	1047.00	71.00	0.00	782.60	392.00	0.00
मध्य प्रदेश	8175.34	828.04	0.00	1332.63	0.00	0.00	5756.54	0.00	0.00	4810.00	33.00	0.00	3000.00	1250.00	0.00
महाराष्ट्र	747.25	20.20	20.20	41.62	0.00	0.00	745.90	449.67	449.67	3361.00	1681.00	1507.38	2512.50	2124.00	0.00
ओडिशा	2318.87	1886.49	1886.49	618.12	0.00	0.00	741.44	370.71900	366.44	1000.00	791.00	752.31	747.60	623.50	0.00
पंजाब	1582.66	1582.66	0.00	241.94	221.13	0.00	222.46	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00	557.00	278.50	0.00
राजस्थान	7888.90	25.25	25.245	4100.09	4048.07	3828.29	2452.64	1783.26	1736.88	3133.00	800.00	800.00	1500.00	1125.00	0.00
तमिलनाडु	487.76	439.98	434.82	63.65	0.00	0.00	704.87	0.00	0.00	1564.00	1564.00	1562.64	1169.00	1620.00	0.00
तेलंगाना	1315.14	15.15	0.00	31.21	0.00	0.00	30.75	0.00	0.00	568.00	0.00	0.00	424.60	212.00	0.00
उत्तर प्रदेश	4703.65	2532.17	2532.17	2181.23	865.56	865.56	13400.57	5089.32	5089.32	6607.00	5881.00	5862.00	4500.00	6900.00	0.00
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.39	555.39	555.39	2001.00	1717.00	1082.80	1495.80	1120.75	0.00
हिमाचल प्रदेश	1166.24	1166.24	1166.24	401.17	0.00	0.00	1121.36	0.00	0.00	497.00	124.00	124.00	746.73	746.00	0.00
उत्तराखंड	11844.95	9084.61	9084.61	2984.87	2953.66	2953.66	6030.68	5969.00	5969.00	3065.00	767.00	677.95	3600.00	2305.00	0.00
सभी पूर्वोत्तर राज्य	738.00	684.98	7.57	314.87	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सभी संघ राज्य क्षेत्र	1727.12	221.85	221.85	952.68	0.00	0.00	893.02	193.55	193.55	1863.02	380.20	148.00	1392.65	472.50	0.00
कुल	**67376.02**	**37284.51**	**34038.73**	**18686.05**	**8184.81**	**7647.51**	**45028.35**	**18183.20**	**17891.94**	**43298.32**	**20485.70**	**14673.82**	**32702.68**	**28238.75**	**722.30**

* यह व्यय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यूसी) पर आधारित है। वर्ष 2024-25 के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र 2026-27 में देय होंगे।

अनुबंध -II

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन(एमओवीसीडीएनईआर) योजना के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सहित जैविक उत्पादन के लिए आवंटित, जारी और व्यय का राज्य-वार विवरण

(लाख रुपए में)

	वर्ष 2020-21			**वर्ष 2021-22**			**वर्ष 2022-23**			**वर्ष 2023-24**			**वर्ष 2024-25**		
राज्य का नाम	आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय	आवंटन	जारी	व्यय
असम	3,193.80	-	-	2,587.98	-	-	2,681.80	2,059.15	2,059.15	3,717.98	3,684.91	2,553.46	4,061.00	1,531.00	1,531.00
मणिपुर	6,212.31	6,444.72	6,444.72	6,238.76	4,911.50	4,911.50	2,915.37	2,915.36	2,915.36	2,805.38	2,805.38	2,805.38	3,940.00	2,955.00	985.30
मेघालय	2,857.79	714.21	714.21	836.65	92.88	92.88	2,011.88	621.57	621.57	2,465.40	2,465.40	2,465.40	4,096.00	2,343.00	898.00
नगालैंड	2,837.80	2,258.89	2,258.89	2,781.18	2,114.20	2,114.20	1,961.01	1,390.60	1,390.60	2,346.10	2,346.10	2,346.10	4,250.00	2,798.00	2,798.00
मिजोरम	1,612.80	769.40	769.40	1,858.80	1,291.74	1,291.74	1,604.25	1,140.90	1,140.90	2,336.16	2,336.16	2,336.16	4,187.00	2,380.00	1,368.00
अरुणाचल प्रदेश	3,044.25	1,953.93	1,953.93	2,938.02	2,776.10	2,776.10	1,860.77	1,642.17	1,642.17	2,574.75	2,574.75	2,569.84	6,250.00	2,560.00	2,560.00
सिक्किम	1,880.94	1,210.90	1,210.90	2,406.84	795.69	795.69	4,005.10	1,538.83	1,538.83	3,260.69	3,260.69	3,015.82	1,949.00	1,706.00	1,247.57
त्रिपुरा	3,804.13	64.74	64.74	3,042.70	1,178.27	1,178.27	2,759.82	3,000.26	3,000.26	3,370.04	3,370.04	3,370.04	3,626.00	2,266.00	1,690.18
	25,443.81	**13,416.78**	**13,416.78**	**22,690.93**	**13,160.39**	**13,160.39**	**19,800.00**	**14,308.84**	**14,308.84**	**22,876.50**	**22,843.43**	**21,462.20**	**32,359.00**	**18,539.00**	**13,078.05**

*****यह व्यय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यूसी) पर आधारित है। वर्ष 2024-25 के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र 2026-27 में देय होंगे।

अनुबंध -III

वर्ष 2015-16 से पीकेवीवाई योजना और एमओवीसीडीएनईआर योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों का राज्यवार विवरण

क्र. सं	राज्य का नाम	किसान
	पीकेवीवाई	
1	आंध्र प्रदेश	7,46,976
2	बिहार	43,208
3	छत्तीसगढ	60,294
4	गुजरात	17,836
5	गोवा	12,685
6	झारखंड	32,714
7	कर्नाटक	37,598
8	केरल	3,10,841
9	मध्य प्रदेश	1,16,360
10	महाराष्ट्र	87,350
11	ओडिशा	70,026
12	पंजाब	6,676
13	राजस्थान	2,17,479
14	तमिलनाडु	37,886
15	तेलंगाना	18,405
16	उत्तर प्रदेश	2,73,672
17	पश्चिम बंगाल	48,585
18	असम	9,740
19	मिजोरम	2,054
20	मेघालय	2,275
21	हिमाचल प्रदेश	44,932
22	जम्मू एवं कश्मीर	12,900
23	उत्तराखंड	3,01,109
24	अंडमान और निकोबार	3,590
25	दमन और दीव	1,324
26	लद्दाख	14,070
27	लक्षद्वीप	8126
	कुल	25,38,711
	एमओवीसीडीएनईआर	
1	अरुणाचल प्रदेश	19099
2	असम	24681
3	मणिपुर	43000
4	मेघालय	19,274
5	मिजोरम	27604
6	नगालैंड	31128
7	सिक्किम	77540
8	त्रिपुरा	26874
	कुल	269200

****